


Relevant parts of Constitution of India simply explained



भारतीय संविधान (Bhartiya Samvidhan) Constitution of India in Hindi

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 449 अनुच्छेद शामिल हैं और कुल 101 बार संशोधित किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून है और यह मौलिक अधिकार, निर्देश सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्थापित करते समय मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को प्रस्तुत करता है।

संविधान क्या है?


संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए नियमों का एक सेट होता है। यह सरकार के ढांचे, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। यह शोषण को रोकने और लोगों के कुछ अधिकारों की गारंटी के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करता है। संविधान शब्द किसी भी समग्र कानून पर लागू किया जा सकता है जो सरकार के कामकाज को परिभाषित करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक आलेखन समिति की स्थापना की गई थी। 165 दिनों की अवधि में ग्यारह सत्र आयोजित संविधान के आलेखन के लिए लगभग तीन साल लग गए। भारत का संविधान उदार लोकतंत्र के सिद्धांतों की रूपरेखा में पश्चिमी कानूनी परंपराओं से बड़े पैमाने पर आकर्षित है। यह एक निचले और ऊपरी सदन के साथ एक ब्रिटिश संसदीय पैटर्न का पालन करता है। यह कुछ मौलिक अधिकारों का प्रतीक है जो संयुक्त राज्य संविधान द्वारा घोषित विधेयक के समान हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा का भी सन्दर्भ लेता है।

भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी बनाया गया था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान ने भारत सरकार के अधिनियम, 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया, और भारत का डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता (बाहरी कानूनी या राजनीतिक शक्ति से संवैधानिक राष्ट्रवाद को लागू करने की प्रक्रिया) सुनिश्चित करने

के लिए, इसके निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 को लागू करके ब्रिटिश संसद के पूर्व कानूनों को निरस्त कर दिया।



मौलिक कर्तव्यों

उद्देशिका में कुछ मौलिक मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है जिन पर भारत का संविधान आधारित है। यह संविधान के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है जो संविधान की व्याख्या अपने प्रकाश में करते हैं। उद्देशिका के शुरुआती कुछ शब्द - "हम, लोग" - यह दर्शाता है कि सत्ता भारत के लोगों के हाथों में निहित है। उद्देशिका निम्नानुसार है:

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य[1] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रारंभ में, प्रस्ताव भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, केरलवन भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह संविधान का अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक संविधान का हिस्सा बन गया।“

उद्देशिका के कुछ शब्दों का अर्थ

संप्रभु – इसका मतलब सर्वोच्च या स्वतंत्र है। प्रस्तावना भारत गणराज्य को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों के रूप में घोषित करता है। बाहरी रूप से यह किसी भी विदेशी शक्ति से मुक्त है और आंतरिक रूप से यह लोगों द्वारा सीधे चुने गए स्वतंत्र सरकार का उपयोग करता है और लोगों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाता है।

समाजवादी – शब्द 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ सामाजिक और आर्थिक समानता है। सामाजिक समानता का मतलब जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान स्थिति और अवसर मिलते हैं। आर्थिक समानता से इसका मतलब है कि सरकार धन के समान वितरण के लिए प्रयास करेगी और सभी के लिए एक सभ्य मानक प्रदान करेगी, इसलिए कल्याणकारी राज्य बनाने में प्रतिबद्धता होगी। अस्पृश्यता और ज़मिंदारी के उन्मूलन, समान मजदूरी अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे।

धर्मनिरपेक्ष – शब्द 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों और धार्मिक सहिष्णुता की समानता का तात्पर्य है। भारत में किसी भी राज्य का आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। कोई भी अपनी पसंद के किसी भी धर्म का प्रचार, अभ्यास और

प्रसार कर सकता है। कानून की आंखों में, सभी नागरिक अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद बराबर हैं। सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाता है।

डेमोक्रेटिक – इसका मतलब है कि सभी स्तरों की सरकार सार्वभौमिक वयस्क फ्रेंचाइजी की प्रणाली के माध्यम से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जाति, पंथ, रंग, लिंग, धर्म या शिक्षा के बावजूद हर नागरिक 18 साल की आयु और उससे अधिक उम्र के लोग ही वोट के हकदार है, अगर वह कानून द्वारा वंचित नहीं किया गए हैं तो।

गणतंत्र – शब्द का अर्थ है कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनावी कॉलेज द्वारा पांच साल की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है।

भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद

भारतीय संविधान के तहत 449 अनुच्छेद हैं जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ में, संविधान में 8 अनुसूचियों के साथ केवल 22 भाग और 395 अनुच्छेद शामिल थे। हालांकि, इसकी स्थापना के बाद से संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। अक्टूबर 2018 तक, कुल 123 संशोधन बिल पेश किए गए हैं, जिनमें से 102 संशोधन अधिनियम लागू किए गए हैं। भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों का सारांश नीचे दिया गया है:

भाग I (अनुच्छेद 1 से 4): संघ और इसका क्षेत्र

हमारे संविधान का पहला हिस्सा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह देश का वर्णन करता है "इंडिया जो की भारत है, राज्यों का संघ होगा" और फिर उन कानूनों को तैयार करता है जिनके अंतर्गत राज्यों को एक साधारण संसदीय बहुमत के साथ विभाजित या विलय किया जा सकता है। सीमाओं को बदला जा सकता है और राज्यों के नाम को बदला जा सकता है। यह एक खंड भी देता है जिसमें संघों को संघ में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में, भारत और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 राज्य हैं। यह हिस्सा स्वयं संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसलिए अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि छोटे संशोधन संविधान (40 वें संशोधन) अधिनियम, 1976 की तरह किए जा सकते हैं, एक नया अनुच्छेद 297 प्रतिस्थापित किया गया ताकि संघ में

निहित हो सके भारत के सभी भूमि, खनिज, और क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के अंतर्गत मूल्य की अन्य चीजें हैं। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत में एक राज्य के रूप में भर्ती कराया गया था। इस कानून का नवीनतम प्रभाव आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में देखा जा सकता है जहां तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था।

भाग II (अनुच्छेद 5 से 11): नागरिकता

यह आलेख तय करता है कि कोई व्यक्ति ब्लू इंडियन पासपोर्ट ले सकता है या नहीं। इसमें 7 अनुच्छेद हैं जो नीचे दिए गए हैं:

- संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
- पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार।
- पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार।
- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार।
- व्यक्ति स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना नागरिक नहीं होना चाहिए।
- नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना।
- कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए संसद।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, एक व्यापक कानून "नागरिकता अधिनियम, 1955" संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को समय-समय पर प्रावधानों के लिए जगह बनाने के लिए संशोधित किया गया है जब भी आवश्यक हो। मुख्य रूप से, भारत एक ऐसा देश है जिसने केवल एकल नागरिकता की अनुमति दी, लेकिन नागरिकता विधेयक 2003 ने 16 विशिष्ट देशों में दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को अस्तर की अनुमति दी। निम्नलिखित तरीकों से नागरिकता भी हासिल की जा सकती है:

- a. एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या
- b. एक व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुये थे या
- c. एक व्यक्ति जो आम तौर पर पांच साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी रहा है

भाग III (अनुच्छेद 12 से 35): मौलिक अधिकार

संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मौलिक अधिकार नागरिक के मूल अधिकार हैं और उनके खिलाफ सभी कानून सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी रक्षा के लिए बनाये जाते हैं। यद्यपि यह हिस्सा विभिन्न विरोधाभासों, संशोधनों और राजनीतिक बहसों के लिए प्रवण रहा है, लेकिन यह केशवनंद भारती मामले में यह कहा गया था कि यह हिस्सा संविधान के "मूल संरचना" में शामिल है और इसे केवल सकारात्मक और प्रगतिशील कारणों से संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, ये अधिकार कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। आपातकाल के मामले में कुछ अधिकारों को दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित पैराग्राफ में मौलिक अधिकारों को समझाया गया है:

कानून से पहले समानता:

गैर-नागरिक समेत हर कोई कानून के बराबर है। राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

हमारे संविधान के निर्माता एक समतावादी समाज चाहते थे (सिद्धांत के आधार पर कि सभी लोग समान हैं और समान अधिकार और अवसरों के लायक हैं)। इसलिए, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भाग 29 (2) में दिए गए किसी भी सामाजिक प्रावधान के विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा।

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता

अनुच्छेद 15 के समान जो इस मामले में सार्वजनिक रोजगार से भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसलिए एक व्यक्ति बिहार से बहुत ज्यादा हो सकता है और मुंबई में काम कर सकता है।

अस्पृश्यता का उन्मूलन

प्राचीन भारत में अस्पृश्यता का सामाजिक दुरुपयोग जो देश के कई हिस्सों में प्रचलित था, इस लेख के तहत पूरी तरह समाप्त हो गया था।

भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार

यह विशेष रूप से चल रहे कड़वाहट और समाचार चैनलों और अनियमित सोशल मीडिया के बंधन के साथ एक बहुत ही बहस वाला अनुच्छेद है। हमें याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और किसी भी राज्य को ऐसा कानून बनाने से रोक नहीं सकता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उपर्युक्त उपरोक्त द्वारा दिए गए अधिकार के उचित प्रतिबंधों को लागू करता है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, सभ्यता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, बदनामी या अपराध के लिए उत्तेजना के संबंध में।

अपराधों के लिए विश्वास के सम्मान में संरक्षण किसी व्यक्ति को अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, न ही मुकदमा चलाया जा सकता है और उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत लिबर्टी

इस कानून का दायरा सभी मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा है। यह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार 2005 द्वारा अनुच्छेद 21 (ए) राज्य को छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

कुछ मामलों में गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण

गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हबीस कॉर्पस का लेख इस अनुच्छेद से मिलता है।

मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है और मानव तस्करी और मजबूर श्रमिकों को प्रतिबंधित करता है।

कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध

चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास और प्रसार।

धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता


यह अधिकार सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या उसके किसी भी हिस्से की एक अलग भाषा, स्क्रिप्ट या संस्कृति होने के लिए उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश या वंचित नहीं किया जाएगा, केवल राज्य, धन, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना।

संवैधानिक उपचार का अधिकार

डॉ अम्बेडकर द्वारा "भारतीय संविधान का दिल और आत्मा" के रूप में वर्णित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय इस भाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एक व्यक्ति अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में दिशा-निर्देश या आदेश या writs जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें हबीस कॉर्पस, मंडमस, निषेध, कुओ वर्राटों, और सरशरारी, जो भी उचित हो, की प्रकृति में वृत्स सहित।



भाग IV (अनुच्छेद 38 से 51): राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

ये संघ और राज्य सरकारों को अधिक स्वस्थ, कानून पालन करने वाले और आदर्शवादी समाज के लिए कानून बनाने के निर्देश हैं। ये आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। यह लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं लेकिन कानून के न्यायालयों में लेखों के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते हैं।

निर्देश हैं,

लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आदेश सुरक्षित करने के लिए राज्य। राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं,

1. नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है;
2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इतना अच्छा है कि उप-सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा है;
3. आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप आम नुकसान के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता नहीं होती है;
4. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन;
5. श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की निविदा उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के लिए अनिच्छुक अवतारों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है;
6. उन बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक त्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है।
7. राज्य द्वारा समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी (39ए)।



Articles under Indian constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है, जैसे जीवन का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। अन्य शब्दों में किसी भी प्रकार का क्रूर, अमाननीय उत्पीड़न या अपमान जनक व्यवहार चाहे वह किसी भी प्रकार की जाँच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न से या किसी अन्य स्थान पर हो, तो यह इस अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है। यह एक मूल अधिकार है, इसमें कहा गया है, कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजता की स्वतंत्रता से बंछित किये जाने संबंधी कार्यवाही उचित ऋजु एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। यह सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।

निजता के अधिकार की अवधारणा को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। निजता प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उपयोग करती है और आम तौर पर नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जवाब देती है। निजता का अधिकार हमारे चारों ओर एक डोमेन रखने का हमारा अधिकार है, जिसमें ये सभी चीजें शामिल हैं जो हमारा हिस्सा हैं, जैसे कि हमारा शरीर, घर, संपत्ति, विचार, भावनाएं, रहस्य और पहचान, निजता का अधिकार हमें क्षमता देता है यह चुनने के लिए कि इस डोमेन में कौन से हिस्से दूसरों द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं और उन हिस्सों के उपयोग की सीमा, तरीके और समय को नियंत्रित करने के लिए जिन्हें हम प्रकट करना चुनते हैं। बहुत समय पहले एक वक्तव्य सुनने में आया था कि जो सरकार अपने नागरिकों की निजता या निजी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकती है, वह सरकार किसी भी प्रकार से अपने देश की जनता को सभी क्षेत्रों में सामान अवसर प्रदान कराने वाली सरकार के रूप में आसानी से सामने नहीं आ सकती है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, कि यहाँ पर केवल नागरिकों की शारीरिक रक्षा की ही नहीं बल्कि उनकी निजी जानकारियों की रक्षा की भी बात हो रही है। साधारणतया सभी लोकतंत्र सरकार द्वारा नागरिकों को सामान अवसर प्रदान कराने में हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भिन्न है, अतः सामान अवसर प्रदान कराने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक नागरिक की वजह से दूसरे नागरिक के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं होना चाहिए।

भारतीय संविधान देश भर के सभी नागरिकों को प्रदान किये गए सभी अधिकारों की रक्षा करता है, इस संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार के मौलिक अधिकार तय किये गये हैं, जो कि किसी भी नागरिक को देश में सुचारु रूप से रहने के लिए उसे सम्मान के साथ उस व्यक्ति को अपने स्तर के सभी हक प्रदान कराने के लिए जरूरी होते हैं, हमारे देश भारत में नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार आदि सर्वमान्य माने गये हैं। इसी तरह से देश के नागरिकों को एक और अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे निजता या निजी स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की ज़बरदस्ती के हस्तक्षेप पर रोक भी लगायी जा सकती है, इसमें किसी भी व्यक्ति की निजी, पारिवारिक, हॉनर, रेपुटेशन आदि भी सम्मिलित होती है। यहाँ पर इससे सम्बंधित सभी विशेष बातें और तात्कालिक समय में भारत सरकार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके अंतर्गत उठाये गये सवालों का वर्णन किया जा रहा है।

निजता का अर्थ क्या है?

निजता का अर्थ है "लोगों के ध्यान से घुसपैठ या किसी के कृत्यों या निर्णयों में हस्तक्षेप से मुक्त होने की स्थिति या स्थिति।"

निजता के अधिकार का अर्थ है:

व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार।

किसी व्यक्ति और व्यक्ति की संपत्ति का अनुचित सार्वजनिक जांच या जोखिम से मुक्त होने का अधिकार।

जबकि निजता के आक्रमण का अर्थ है "किसी के व्यक्तित्व का अनुचित शोषण और किसी की व्यक्तिगत गतिविधियों में घुसपैठ।" निजता को "अकेले रहने के अधिकार" के पर्याय के रूप में भी माना जाता है।

आखिर क्या है निजी स्वतंत्रता का अधिकार?

निजी स्वतंत्रता या राईट टू प्राइवैसी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है, जो कि भारत के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत भारत देश के किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं,

भारतीय संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी भी समय किसी भी अथॉरिटी या किसी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है।

यदि किसी भी प्रकार के दस्तावेज में किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में किसी भी प्रकार की त्रुटी हो गयी है, या कोई आवश्यक जानकारी छूट गयी है, तो वह व्यक्ति उस जानकारी को

संशोधित करने के लिए आवेदन कर सकता है, और बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेजों को संशोधित करा सकता है।

बिना किसी कानूनी नोटिस या समन के जिसमें न्यायालय द्वारा किसी बड़े मुद्दे को हल करने के लिए अपनी कुछ निजी जानकारी साझा करने का आदेश हो सकता है, तो ऐसे आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के सामने अपनी निजी जानकारी व्यक्त न करने की स्वतंत्रता भी इस अधिकार के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होती है।

इस निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है, कि केवल वह यदि चाहे तो ही केवल उसकी निजी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पास जाएगी अन्यथा नहीं जायेगी।

निजी स्वतंत्रता का अधिकार इस बात की भी स्वतंत्रता भी देता है, कि एक व्यक्ति यह स्वयं तय कर सकता है, कि क्या राज्य उस व्यक्ति की निजी ज़िन्दगी के विषय में जान सकता है, यदि वह व्यक्ति राज्य को इस बात की अनुमति प्रदान नहीं करता है, तो राज्य की कोई भी अथॉरिटी उस व्यक्ति को उसकी निजी जानकारी साझा करने के लिए बाधित नहीं कर सकती है, और यदि कोई व्यक्ति या संस्था उस व्यक्ति को उसकी निजी जानकारी साझा करने के लिए बाधित करती है, तो वह व्यक्ति बिना किसी परेशानी के सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने निजी स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए अपील कर सकता है, और जहां से उस व्यक्ति को इन्साफ मिलेगा।

इस अधिकार के अनुसार कोई व्यक्ति जो जानकारी केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, वह केवल उसके ही पास रहेगी, किसी और व्यक्ति या संस्था के पास उस व्यक्ति की उस जानकारी को जानने का किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

मौलिक अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार

बीती अगस्त 2017 को भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश के लिए एक सबसे अहम फैसला लिए जिसमें निजी स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की श्रेणी दी गयी। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच ने एक साथ मिलकर अपना फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस आर. के. अग्रवाल, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए. एम. सप्रे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस. के. कौल, जस्टिस अब्दुल नजीर ये जज लोग शामिल थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, कि निजता को मुख्य रूप से तीन जोन में बांटा जा सकता है। जिसमें पहला है, आंतरिक जोन, जिसके अंतर्गत शादी, बच्चे पैदा करना आदि मामले आते हैं। दूसरा है, प्राइवेट जोन, जहां हम अपनी निजता को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से साझा नहीं करना चाहते, जैसे अगर बैंक में खाता खोलने के

लिए हम अपना डेटा देते हैं, तो हम चाहते हैं, कि बैंक ने जिस उद्देश्य से हमारा डेटा लिया है, उसी उद्देश्य से तहत वह उसका इस्तेमाल करे, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को वह डेटा न दे। वहीं, तीसरा होता है, पब्लिक जोन। इस दायरे में निजता का संरक्षण न्यूनतम होता है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक निजता बरकरार रहती है। वहीं, चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने टिप्पणी की थी, कि अगर किसी व्यक्ति से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है, जो उसके प्रतिष्ठा और मान - सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वह निजता के मामले के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक, दरअसल स्वतंत्रता के अधिकार, मान - सम्मान के अधिकार और निजता के मामले को एक साथ कदम दर कदम देखना होगा। स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में मान - सम्मान का अधिकार आता है, और मान सम्मान के दायरे में निजता का मामला आता है।

निजता की अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाएं

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि "किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ हर किसी को कानून की सुरक्षा का अधिकार है।"

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वाचा (जिसका भारत एक पक्ष है) के अनुच्छेद 17 में कहा गया है, "किसी को भी उसकी गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार के साथ मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमले का।"

मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 में कहा गया है, "हर किसी को अपने निजी और पारिवारिक जीवन, अपने घर और अपने पत्राचार के सम्मान का अधिकार है; एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कानून के अनुसार है और एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या देश की आर्थिक भलाई के लिए स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए।"

निजता का अधिकार-अनुमति प्रतिबंध

निजता में दखल (1) विधायी प्रावधान (2) प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश (3) न्यायिक आदेश द्वारा हो सकता है। विधायी घुसपैठ को संविधान द्वारा गारंटी के अनुसार तर्कसंगतता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए न्यायालय घुसपैठ की आनुपातिकता में उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। जहां तक प्रशासनिक या कार्यकारी कार्रवाई का संबंध है, इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त होना चाहिए। न्यायिक वारंट के रूप में, न्यायालय के पास यह मानने के लिए

पर्याप्त कारण होना चाहिए कि तलाशी या जब्ती जरूरी है और उसे विशेष राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तलाशी या जब्ती की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, सामान्य कानून ने मान्यता दी है कि वारंट रहित खोजों के संचालन के लिए दुर्लभ अपवादों का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन ये अच्छे विश्वास में होने चाहिए, जिसका उद्देश्य सबूतों को संरक्षित करना या व्यक्ति या संपत्ति के लिए अचानक क्रोध को रोकने का इरादा है।

निजता और समाज के विभिन्न पहलुओं से इसका संबंध

निजता व्यक्तियों, समूहों या समाज के प्रति निर्देशित एक मूल्य है जिसका अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, इसमें सभी धर्मों, रीति-रिवाजों और पृष्ठभूमि के लोग हैं और इसलिए यह पता लगाना आसान है कि एक चीज का मतलब पूरे देश के लिए समान नहीं हो सकता है और ऐसा ही निजता की स्थिति है। निजता का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें हैं। कुछ के लिए यह सूचना की निजता है, दूसरों के लिए शरीर की निजता और कुछ के लिए इसका कुछ अलग दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए निजता को समाज या देश के विभिन्न पहलुओं के साथ अलग-अलग पंक्तियों में पढ़ा जा सकता है जिस पर आगे चर्चा की गई है।

- 1) निजता अधिकार सरकार को लोगों की जासूसी करने से रोकते हैं (बिना कारण के)।
- 2) निजता अधिकार समूहों को अपने लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने से रोकते हैं।
- 3) निजता अधिकार यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि डेटा चोरी या दुरुपयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाता है।
- 4) निजता अधिकार सामाजिक सीमाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं।
- 5) निजता अधिकार विश्वास बनाने में मदद करते हैं।
- 6) निजता अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हमारे डेटा पर हमारा नियंत्रण रहे।
- 7) निजता अधिकार भाषण और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- 8) निजता अधिकार आपको राजनीति में स्वतंत्र रूप से शामिल होने देते हैं।
- 9) निजता अधिकार प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं।
- 10) निजता अधिकार आपके वित्त की रक्षा करते हैं।

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है। निजता का अधिकार, अनुबंध के अलावा, एक विशेष विशिष्ट संबंध से भी उत्पन्न हो सकता है, जो वाणिज्यिक, वैवाहिक या यहां तक कि राजनीतिक भी हो सकता है। निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है; यह अपराध की रोकथाम, अव्यवस्था या स्वास्थ्य

या नैतिकता की सुरक्षा या अधिकारों की सुरक्षा और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। जहां दो व्युत्पन्न अधिकारों के बीच संघर्ष होता है, वहां सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने वाला अधिकार प्रबल होता है। एक समाज का हिस्सा होने के नाते अक्सर यह तथ्य खत्म हो जाता है कि हम पहले व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी गतिविधि के लिए अपने निजी स्थान की आवश्यकता होती है (यह मानते हुए कि यह कानूनी होगा)। राज्य तदनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उन निजी पलों का आनंद लेने का अधिकार देता है जिनके साथ वे बाकी दुनिया की चुभती आँखों के बिना चाहते हैं। क्लिंटन रॉसिटर ने कहा है कि निजता एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता है जिसे कम से कम कुछ व्यक्तिगत और आध्यात्मिक चिंताओं में स्वायत्तता सुरक्षित करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है। यह स्वायत्तता सबसे खास चीज है जिसका आनंद व्यक्ति ले सकता है। वह वास्तव में वहां एक स्वतंत्र व्यक्ति है। यह राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया के खिलाफ अधिकार है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा नहीं करना चाहता तब यह अधिकार उसके हितों की रक्षा करने में मदद करेगा।

अनुच्छेद 21 का विस्तार क्षेत्र

अनुच्छेद 21 का दायरा 1950 के दशक तक थोड़ा संकरा था, क्योंकि ए. के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था, कि अनुच्छेद 21 और 19 (1) (डी) की विषय वस्तु और विषय समान नहीं हैं। इस मामले में वंचित शब्द को संकुचित अर्थ में रखा गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वंचितता अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत आने वाले किसी व्यक्ति को देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाती है। उस समय संविधान के कुछ अन्य लेखों के साथ अनुच्छेद 21 के संबंध में ए. के. गोपालन मामला बहुत ही प्रमुख मामला था, लेकिन बाद में गोपालन मामले को अनुच्छेद 21 के दायरे के संबंध में कुछ अन्य मामलों के साथ संसोधन करके विस्तार किया गया है, और यह माना जाता है, कि किसी व्यक्ति के घर में या जब वह जेल में बंद हो तब उसकी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कानून के अधिकार की आवश्यकता होगी। क्या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में दंडात्मक कानून की निष्पक्षता की जांच की जा सकती है, यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में गोपालन मामले के बाद मुद्दा था, इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने एक नया आयाम खोला और कहा कि यह प्रक्रिया मनमानी, अनुचित या अनुचित नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 21 ने भारत के राज्यों पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है।


अनुच्छेद 21 किस - किस पर लागू हो सकता है

इस अनुच्छेद का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, और यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जो कि भारत के मूल निवासी हैं, और जिनके पास भारत देश की नागरिकता है।

इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक - टोक नहीं होती है, सभी को समानता का अधिकार है।

अनुच्छेद 21 के मामलों में एक वकील की जरूरत क्यों होती है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के आलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, वह सर्वोच्च न्यायालय में किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से अपनी याचिका दायर कर सकता है। इसी कारण एक वकील ही एकमात्र ऐसा यन्त्र होता है, जो किसी पीड़ित व्यक्ति को सही रास्ता दिखने में लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वकील को कानून और संविधान की उचित जानकारी होती है, तो वह मामले से सम्बंधित सभी प्रकार के उचित सुझाव भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस वकील को हम अपने मामले को सुलझाने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होना चाहिए, और उसे संविधान से सम्बंधित और अनुच्छेद 21 के मामलों से निपटने का उचित अनुभव होना चाहिए, जिससे आपके केस जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।



अनुच्छेद 25-28

Article 25 to 28

अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्यता, आचरण और प्रचार-प्रसार

अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक व्यक्ति को "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार" की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 25 (2) में यह प्रावधान है कि: इस अनुच्छेद की कोई बात किसी मौजूदा कानून के संचालन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी-

- किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो।
- सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए प्रावधान करना या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलना।

धर्म की परिभाषा

- संविधान में 'धर्म' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और वास्तव में यह एक ऐसा शब्द है जिसे किसी कठोर परिभाषा में नहीं रखा जा सकता।
- अनुच्छेद 25(1) के तहत एक व्यक्ति को दोहरी स्वतंत्रता प्राप्त है:
- विवेक की स्वतंत्रता: 'विवेक' की स्वतंत्रता नागरिक की पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छानुसार ढाल सकता है। जब उसकी स्वतंत्रता मुखर हो जाती है और बाहरी रूप में अभिव्यक्त होती है, तो उसे 'धर्म का पालन करना और उसका पालन करना' कहते हैं।
- धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता:
- किसी धर्म को 'मानने' का मतलब है अपनी आस्था और विश्वास को स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर घोषित करना। उसे अपनी आस्था को किसी भी तरीके से व्यावहारिक अभिव्यक्ति के ज़रिए मानने का अधिकार है।

- धर्म का अभ्यास करने का अर्थ है निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों, संस्कारों और अनुष्ठानों का पालन करना, तथा अपने धार्मिक विश्वासों और विचारों को ऐसे कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करना, जैसा कि उस धार्मिक आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, जिसमें वह विश्वास करता है।
- 'प्रचार' का अर्थ है दूसरों के उत्थान के लिए अपने धार्मिक दृष्टिकोण को फैलाना और प्रचारित करना। लेकिन 'प्रचार' शब्द का अर्थ केवल अनुनय और व्याख्या करना है, जिसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता। किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

केस कानून

पूजा स्थल का अधिग्रहण

- एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास मामले में न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से माना कि डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां संदिग्ध हैं, कि 'मस्जिद इस्लाम धर्म के पालन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमान नमाज कहीं भी, यहां तक कि खुले में भी अदा कर सकते हैं' भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में की गई थीं। वे टिप्पणियां न तो मुकदमों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक थीं और न ही काफी लंबे समय तक अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक थीं।

तीन तलाक का उन्मूलन

- 35 वर्षीय शायरा बानो ने तीन तलाक प्रथा के तहत तलाक लेने के बाद इस प्रथा को चुनौती दी थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक को खारिज कर दिया था।
- तीन तलाक पवित्र कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और परिणामस्वरूप, यह शरीयत का उल्लंघन करता है।
- यह संविधान के अनुच्छेद 25(1) का कोई भाग नहीं है।

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

- धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन
 - आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, 1984 के मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "आनंद मार्गियों द्वारा घातक हथियार और मानव खोपड़ियों को लेकर जुलूस या सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य करना आनंद मार्ग के अनुयायियों का एक आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है और इसलिए धारा 144, सीआरपीसी के तहत 'सार्वजनिक'

व्यवस्था और 'नैतिकता' के हित में इस तरह के जुलूस पर रोक लगाने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

- धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन

- मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य, 1958 मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बकरीद के दिन गायों की बलि देना मुस्लिम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए, राज्य द्वारा अनुच्छेद 25 के खंड (2) (ए) के तहत इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार

- अनुच्छेद 25 के खंड (2)(बी) के तहत राज्य को सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार, इस खंड के तहत राज्य उन सामाजिक प्रथाओं और रूढ़ियों को मिटा सकता है जो देश की आगे की प्रगति के मार्ग में बाधा बनती हैं।

- सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार : सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कितनी भी कृपाण रख सकता है। उसे एक तलवार रखने का अधिकार है। वह बिना लाइसेंस के एक से ज़्यादा कृपाण नहीं रख सकता।

अनुच्छेद 26

(धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)

इसमें प्रावधान है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को यह अधिकार होगा-

- धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना।
- धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना
- चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना।
- ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना

अनुच्छेद 25 और 26 के बीच संबंध

शुरु में ऐसा लगा कि अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 के प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। लेकिन श्री वेंकटरमण देवरु और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य के मामले में न्यायालय ने घोषित

किया कि अनुच्छेद 25(2) के आवेदन का दायरा व्यापक है। और अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 के प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 26 का विश्लेषण

- इस अनुच्छेद में किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल है, चाहे वह बहुसंख्यक धर्म हो या अल्पसंख्यक ।
- यह व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित है।
- राज्य अनुच्छेद 25(2)(बी) में दिए गए आधारों के अधीन किसी संप्रदाय के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- लेकिन राज्य धार्मिक संप्रदायों और संगठनों की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है।

धार्मिक संप्रदाय का अर्थ:

- सरल शब्दों में, इसका अर्थ है "एक ही नाम के तहत एक साथ वर्गीकृत व्यक्तियों का संग्रह" आम तौर पर एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय जिसका एक सामान्य विश्वास और संगठन होता है और जिसे एक विशिष्ट मूल्य द्वारा नामित किया जाता है।
- भारतीय संविधान में धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख नहीं है, इसलिए धार्मिक संप्रदाय क्या है, यह निर्धारित करने के लिए न्यायालय के निर्णयों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- एस.पी. मित्तल बनाम भारत संघ मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मानक स्थापित किये थे जिनका एक धार्मिक समूह को पालन करना होगा:
 - ऐसे लोगों का समूह जो एक साझा आस्था रखते हैं।
 - एक सामान्य संरचना.
 - पहचान के लिए एक अलग नाम का उपयोग किया जाता है।

धार्मिक संप्रदाय के उदाहरण: हिंदू धर्म में शैववाद, शाक्तवाद, वैष्णववाद तथा इस्लाम में शिया और सुन्नीवाद।

धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार 26 (ए)

- अनुच्छेद 26 (ए) में 'स्थापित करना और बनाए रखना' शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए केवल वे संस्थाएं ही हैं जिन्हें कोई धार्मिक संप्रदाय स्थापित करता है, जो इसे बनाए रखने का दावा करते हैं।

- अनुच्छेद 26 (ए) के तहत अधिकार एक सामूहिक अधिकार है और यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदायों को उपलब्ध है।

- धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी संस्था को बनाए रखने के अधिकार में अन्य धर्मों से संबंधित पेशे या प्रथाओं को बाहर करने का अधिकार भी शामिल है।

'धार्मिक मामलों' के प्रबंधन का अधिकार 26 (बी)

- इसका मतलब यह है कि राज्य इस कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के विरुद्ध न हो। तदनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संगठन को यह तय करने की पूरी स्वतंत्रता है कि उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कौन से संस्कार और समारोह आवश्यक हैं। न्यायालय को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कोई विशेष संस्कार या समारोह आवश्यक है या नहीं।

- बहिष्कार का मुद्दा: बॉम्बे बहिष्कार निवारण अधिनियम के अनुसार बहिष्कार का अर्थ है "किसी व्यक्ति को किसी ऐसे समुदाय से निष्कासित करना जिसका वह सदस्य है, उसे उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करना जो सिविल प्रकृति के मुकदमे द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं"। व्यावहारिक रूप से, बहिष्कार का अर्थ है समुदाय से संबंधित मस्जिद या समुदाय को समर्पित कब्रिस्तान में प्रवेश की अनुमति न देना। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने 1949 में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि यह अधिनियम उनके नेता द्वारा पारित कुछ आदेशों को गैरकानूनी बनाता है। समुदाय के 51वें नेता सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यह अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार) और 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता) के तहत संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

मामले के बारे में:

- याचिकाकर्ता ने कहा कि कुरान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है और यह इस्लाम की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समुदायों को विनियमित करने के अधिकार में बहिष्कार का अधिकार शामिल नहीं है।

- हालांकि, एक अन्य पक्ष ने कहा कि बहिष्कार की प्रथा दाऊदी बोहरा धर्म के लिए आवश्यक थी। दरअसल, एक अन्य पक्ष का मानना था कि बहिष्कार की शक्ति धार्मिक मामलों में सामुदायिक मामलों के प्रबंधन का हिस्सा थी, और दाई (नेता) को अधिकार से वंचित करना और इसके प्रयोग को दंडनीय अपराध बनाना "संप्रदाय के जीवन पर आघात है

- सरदार सैयदना सैफुद्दीन बनाम बॉम्बे राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: दाई (नेता) का पद समुदाय का एक अनिवार्य हिस्सा है और बहिष्कृत करने की शक्ति अनुशासन लागू करने और संप्रदाय को संरक्षित करने के लिए है, न कि दंडित करने के लिए। मामले का फिर से सामने आना

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016 पारित किया गया। अधिनियम सामाजिक बहिष्कार को "अमानवीय" बताता है, और 16 प्रकार के सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करता है - जिसमें समुदाय के सदस्यों को सामुदायिक हॉल, कब्रिस्तान आदि जैसी सुविधाओं तक पहुँच से रोकना शामिल है। अक्टूबर 2022 में, न्यायालय ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या 1962 के आदेश द्वारा संरक्षित बहिष्कार की प्रथा जारी रह सकती है।

अतः अब न्यायालय इस मुद्दे को मुख्यतः दो आधारों पर देखेगा:

- अनुच्छेद 26(बी) के तहत अधिकारों में संतुलन स्थापित करना - धार्मिक मामलों में धार्मिक संप्रदायों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
- क्या संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर परीक्षण करने पर इस प्रथा को अनुच्छेद 26(बी) के तहत संरक्षित किया जा सकता है।
- हाजी अली दरगाह ट्रस्ट मुद्दा
 - ट्रस्ट ने महिलाओं को दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन करता है और महिलाओं को "पुरुषों के समान" प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। दरगाह ट्रस्ट द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, जिसमें महिलाओं को हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोका गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और 25 (धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन, अभ्यास और प्रचार) का उल्लंघन करता है।
 - ट्रस्ट ने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत "अपने मामलों का प्रबंधन करने" के मौलिक अधिकार का दावा किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह अधिकार "धर्म का पालन करने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता", क्योंकि अनुच्छेद 26 को भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत किसी के धर्म का पालन करने के अधिकार को खत्म करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
 - हाजी अली दरगाह ट्रस्ट एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। यह दुनिया भर के लोगों के लिए खुला है, चाहे उनकी जाति, पंथ या लिंग आदि कुछ भी हो। एक बार जब किसी पूजा स्थल को सार्वजनिक चरित्र दे दिया जाता है, तो अनुच्छेद 14, 15 और 25 की सभी कठोर

शर्तें लागू हो जाती हैं और ट्रस्ट केवल अनुच्छेद 26 की गलत व्याख्या के आधार पर अपने निर्णय को सही नहीं ठहरा सकता।

संप्रदाय 26 (सी) और (डी) के स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार

- अनुच्छेद 26 का खंड (सी) किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को चल तथा अचल संपत्ति के स्वामित्व तथा अधिग्रहण का अधिकार प्रदान करता है", खंड (डी) संप्रदाय को ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने के अधिकार की गारंटी देकर इस अधिकार को और मजबूत करता है" अनुच्छेद 26 के खंड (सी) में निहित अधिकार धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित खंड (बी) में निहित गारंटी से अलग है। जबकि अनुच्छेद 26(बी) एक मौलिक अधिकार की गारंटी देता है जिसे अनुच्छेद 25(2) में उल्लिखित आधारों के अलावा नहीं छीना जा सकता है, अनुच्छेद 26(सी) में निहित अधिकार को सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

- उत्तर प्रदेश-श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1988 में संपूर्ण चल और अचल संपत्ति को भगवान श्री काशी विश्वनाथ को सौंपने का प्रावधान किया गया था और प्रशासन और प्रबंधन का काम एक बोर्ड को सौंपा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्रिविक्रम नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस अधिनियम को वैध माना था।

- यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 26 (सी) और 26 (डी) किसी भी संप्रदाय या उसके अनुभाग में अधिकारों का निर्माण नहीं करते हैं, वे केवल उन अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी देते हैं जो ऐसे संप्रदाय या उसके अनुभाग के पास थे। हालाँकि, एक कानून जो धार्मिक संप्रदाय से प्रशासन के अधिकार को पूरी तरह से छीन लेता है और इसे कुछ धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण में निहित करता है, अनुच्छेद 26 (डी) में निहित गारंटी का उल्लंघन होगा।

- इसी तरह डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट राज्य द्वारा धार्मिक संपत्ति के अधिग्रहण के सवाल पर विचार कर रहा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 26 के तहत मस्जिद, मंदिर और चर्च अचल संपत्तियां हैं और ये धर्म का अनिवार्य घटक नहीं हैं; इसलिए राज्य अचल संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है।

अधिकार की सीमा

- अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं और संविधान के भाग III के किसी अन्य प्रावधान के अधीन नहीं हैं।

अनुच्छेद 27

(किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से मुक्ति)

इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जोर देता है। कर के रूप में एकत्र किया गया सार्वजनिक धन राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं किया जा सकता।

- इस प्रावधान के पीछे कारण यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहां संविधान द्वारा व्यक्तियों और समूहों दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, इसलिए किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए सार्वजनिक निधि से कोई धनराशि देना संविधान की नीति के विरुद्ध है।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 27 कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क लगाने पर नहीं।

अनुच्छेद 28

(राज्य-सहायता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध)

यह प्रकट करता है की।

- पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
- खंड (1) की कोई बात किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है किन्तु किसी ऐसे दान या न्यास के अधीन स्थापित की गई है जिसके लिए यह अपेक्षित है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी परिसर में आयोजित किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो।

इस प्रकार, अनुच्छेद 28 में चार प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है:

- पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित संस्थाएँ।
- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएँ।

- वे संस्थाएँ जो राज्य कोष से सहायता प्राप्त कर रही हैं
- वे संस्थाएँ जो राज्य द्वारा प्रशासित होती हैं लेकिन किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित की जाती हैं।

(a) प्रकार की संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। (b) और (c) प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा केवल व्यक्तियों की सहमति से दी जा सकती है। (d) प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- अरुणा रॉय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 28(1) किसी विशेष संप्रदाय या संप्रदाय के "सिद्धांतों, अनुष्ठानों, अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों" से अलग धर्म की शिक्षा पर रोक नहीं लगाता। न्यायालय ने "धार्मिक निर्देशों" और धर्म के बीच अंतर किया। निषिद्ध है पहला, दूसरा नहीं। न्यायालय ने यह भी माना कि "छात्रों को सभी धर्मों की मूल बातों, उनमें निहित मूल्यों और सभी धर्मों के दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन से परिचित होना चाहिए", न तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है और न ही धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालता है।"

Article 25-28

Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion

Article 25 guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice, and propagate religion to all citizens. Article 25 (1) guarantees to every person "subject to public order, morality and health and to the other provisions of Part III of the Constitution the freedom of conscience and the right to profess, practise and propagate religion".

Article 25 (2) provides that: Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law-

- Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice.
- Providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Definition of Religion

- The term 'religion' is not defined in the Constitution and indeed it is a term which is hardly susceptible to any rigid definition.
- Under Article 25(1) a person has a two-fold freedom:
- Freedom of conscience: The Freedom of 'conscience' is absolute inner freedom of the citizen to mould his own relation with God in whatever manner he likes. When his freedom becomes articulate and expressed in outward form, it is 'to profess and practice religion'.
- Freedom to profess, practise and propagate religion:
- To 'profess' a religion means to declare freely and openly one's faith and belief. He has the right to practice his belief by practical expression in any manner he likes.
- To 'practice' religion is to perform the prescribed religious duties, rites and rituals, and to exhibit his religious beliefs and ideas by such acts as prescribed by religious order in which he believes.
- To 'propagate' means to spread and publicise his religious view for the edification of others. But the word 'propagation' only indicates persuasion and exposition without any element of coercion. The right to propagate one's religion does not give a right to convert any person to one's own religion. There is no fundamental right to convert any person to one's own religion.

Case Laws

Acquisition of place of worship

- In M. Siddiq vs Mahant Suresh Das, the Court held by a majority of 2:1 held that questionable observations made by the Constitutional Bench in Dr. M. Ismail Faruqui vs Union of India, that 'Mosque is not essential part of practice of religion of Islam and namaz (prayer) by Muslims can be offered anywhere, even in open' were made in context of land acquisition. Those observations were neither relevant for deciding the suits nor relevant for deciding the appeals for a quite long time.

Abolition of Triple Talaq

- Shayara Bano, a 35-year-old woman, challenged the practice after getting divorced under the triple talaq custom. In 2017, the Supreme Court, in a landmark 3-2 verdict, had struck down instant triple talaq.
- Triple Talaq is against the basic tenets of holy Quran and consequently, it violates Shariat.
- It forms no part of Article 25 (1) of the Constitution.

Restrictions on Freedom of Religion

- Religious liberty subject to public order, morality and health
 - o In Acharya Jagdishwaranand Avadhuta vs Commissioner of Police, Calcutta, 1984 case, . The SC held that "Tandava dance in procession or at public places by Ananda Margis carrying lethal weapons and human skulls is not an essential religious rite of the followers of Anand Marga and hence the order under Section 144, Cr.P.C. prohibiting such procession in the interest of 'public' order and 'morality' is not violative of the rights of petitioners under Article 25 and 26 of Constitution.
- Regulation of economic, financial, political and secular activities associated with religious practices
 - o In Mohd. Hanif Quareshi vs State of Bihar, 1958 case, the Supreme Court held that the sacrifice of cows on the Bakrid day was not an essential part of Mohammedan religion and hence, could be prohibited by the State under clause (2)(a) of Article 25.
- Social Welfare and Social Reforms
 - o Under Clause (2)(b) of Article 25, the State is empowered to make laws for social welfare and social reform. Thus, under this clause the State can eradicate social practices and dogmas which stand in the path of the country's onward progress.

o Right to Sikhs to wear and carry Kirpans: The right of Sikhs to wear and carry kirpans is recognised practice of Article 25. This does not mean that he can keep any number of kirpans. He is entitled to keep one sword. He cannot possess more than one Kirpan without a licence.

Article 26

(Freedom to manage religious affairs)

It provides that subject to public order, morality, and health every religious denomination or any section thereof shall have the right-

- To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes.
- To manage its own affairs in matters of religion
- To own and acquire movable and immovable property.
- To administer such property in accordance with law

The relation between article 25 and 26

Initially, it appeared that article 26 is not subject to the restrictions of article 25. But in the case of Sri Venkataramana Devaruand Ors. v. The State of Mysore & Ors, the court declared that article 25(2) has a wider scope of application. And article 26 is subject to the restrictions of article 25. Analysis of article 26

- This article includes denomination of any religion, whether it is a majority or a minority religion.
- It does not deal with the rights of individual rather it deals with the rights of religious denominations.
- The state cannot interfere in the matters of the religion of denominations subject to the grounds provided in article 25(2) (b).
- But the state can interfere in the secular activities of the religious denominations and organizations.

Religious Denomination meaning:

- In simple words, it means" collection of individuals, classed together under the same name" generally a religious sect or body having a common faith and organisation and designated by a distinctive value.
- Indian Constitution does not specify religious denominations, court decisions must be consulted to determine what constitutes a religious denomination.

- In SP Mittal v. Union of India, the Supreme Court established three standards that a religious group must meet:
 - o A group of people who share a shared faith.
 - o A common structure.
 - o A distinct name is used for identification.

Examples of religious denomination: Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, in Hinduism and Shia and Sunni in Islam.

Right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose 26 (a)

- The words 'establish and maintain' in Article 26 (a) must be read together and, therefore, it is only those institutions which a religious denomination establishes which claim to maintain it.
- The right under Article 26 (a) is a group right and is available to every religious denomination, minority as well as majority communities.
- The right to maintain an institution for religious and charitable purposes includes the right to exclude the profession or practices belonging to the other religions.

Right to manage 'matters of Religion' 26 (b)

- It means the State cannot interfere in the exercise of this unless they run counter to public order, health or morality. Accordingly, every religious denomination or organisation enjoys complete freedom in the matters of deciding what rites and ceremonies are essential according to the tenets of the religion they hold. The Court has the right to determine whether a particular rite or ceremony is regarded as essential by the tenets of a particular religion.
- Issue of Excommunication: Bombay Prevention of excommunication act defined Excommunication as the "expulsion of a person from any community of which he is a member, depriving him of rights and privileges which are legally enforceable by a suit of civil nature". In practical terms, excommunication means not being allowed to access a mosque belonging to the community or a burial dedicated to the community. A member of the Dawoodi Bohra community filed a suit in 1949, saying the Act rendered certain orders passed by their leader unlawful. The 51st leader of the community, Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb, challenged the constitutional validity of the Act, stating it violated fundamental rights guaranteed by the Constitution under Articles 25 (Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion) and 26 (Freedom to manage religious affairs).

About the case:

- Petitioner said Quran does not permit excommunication, and that it goes against the spirit of Islam. They submitted that the right to regulate religious communities does not include the right to excommunicate.
- However, another party said that the practice of excommunicate was essential to the Dawoodi Bohra faith. Actually, another party was of the view that power of excommunication was part of the management of community affairs in matters of religion, and depriving the Dai (leader) of the right and making its exercise a penal offence “struck at the very life of the denomination
- SC in *Sardar Syedna Saifuddin v. State of Bombay* said: Dai’s (Leader) position is an essential part of the community and the power to excommunicate is to enforce discipline and preserve the denomination, not to punish.

Resurfacing of the matter

The Maharashtra Protection of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2016, was passed. The Act describes a social boycott as “inhuman”, and defines 16 types of social boycott — including preventing members of a community from having access to facilities including community halls, burial grounds, etc. In October 2022, the court said that it would consider whether the practice of excommunication that was protected by the 1962 order can continue.

So, now the court will see the issue mainly on two grounds:

- Balancing the rights under Article 26(b) — right of religious denominations to manage their own affairs in matters of religion.
- Whether the practice can be protected under Article 26(b) when tested on the touchstone of constitutional morality.
- The Haji Ali Dargah Trust Issue
 - o The trust barred women from entering the sanctum sanctorum, the Bombay High Court lifted the ban, saying it contravenes the Constitution and women should be allowed entry “at par with men”. The ban imposed by the dargah trust, prohibiting women from entering the sanctum sanctorum of the Haji Ali Dargah, contravenes Articles 14 (equality before law), 15 (prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth) and 25 (free profession and practice and propagation of religion) of the Constitution.
 - o The trust had claimed the fundamental right “to manage its own affairs” under Article 26 of the Constitution. The court, however, said the right cannot “override the

right to practice religion itself", as Article 26 cannot be seen to overrule the right to practice one's religion as guaranteed under the Constitution of India.

o The Haji Ali Dargah Trust is a public charitable trust. It is open to people all over the world, irrespective of their caste, creed or sex, etc. Once a public character is attached to a place of worship, all the rigors of Articles 14, 15 and 25 would come into play and the trust cannot justify its decision solely based on a misreading of Article 26.

Right to administer property owned by denomination 26 (c) & (d)

- Clause (c) of Article 26 secures to a religious denomination or any section of the right to own and acquire movable and immovable property", Clause (d) further strengthens this right by guaranteeing to the denomination e right to administer such property in accordance with law" The right contained in Clause (c) of Article 26 is distinguishable from the guarantee contained in Clause (b) relating to management of religious affairs. While Article 26(b) guarantees a fundamental right which cannot be taken away except on grounds mentioned in Article 25(2), the right contained in Article 26(c) can be regulated by a law made by a competent Legislature.

- The UP-Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1988, provided for vesting the entire property, movable and immovable, in the deity Shri Kashi Vishwanath and the administration and management of was entrusted to a Board. The Allahabad High Court in Trivikram Narain Singh v. State of U.P. held the Act valid.

- It may be noted that Articles 26(c) and 26(d) do not create rights, in any denomination or its section, they merely safeguard and guarantee the continuance of rights which such denomination or its section had However, a law which takes away the right of administration altogether from the religious denomination and vests it in some secular authority, would be violative of the guarantee contained in Article 26(d).

- Likewise In Dr. M. Ismail Faruqui vs. Union of India, the Supreme Court was dealing with the question of acquisition of the religious property by the State. In this case, the Supreme Court stated that under article 26 mosque, temple and churches are immovable properties and it is not an essential component of religions; thus, the state can acquire immovable properties.

Limitation of the Right

- The rights conferred by Article 26 are subject to the limitation as prescribed under Article 26 of the Constitution and not subject to any other provision of Part III of the Constitution

Article 27

(Freedom from taxes for promotion of any particular religion)

It provides that no person shall be compelled to pay any taxes, for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. This article emphasises the secular character of the State. The public money collected by way of tax cannot be spent by the State for the promotion of any particular religion.

- The reason underlying this provision is that India being a Secular State and there being freedom of religion guaranteed by the Constitution both to individuals and groups it is against the policy of the Constitution to pay out of public funds any money for the promotion or maintenance of the particular religion or religious denomination.
- It is to be noted that Article 27 prohibits the levy of tax, not the imposition of Fees.

Article 28

(Prohibition of Religious Instruction in State-aided Institution)

It states that.

- No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
- Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.
- No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is minor, his guardian has given his consent thereto.

Thus, Article 28 mentions four types of educational institutions:

- Institutions wholly maintained by the state.
- Institutions recognised by the State.
- Institutions that are receiving aid out of the State fund
- Institutions that are administered by the State but are established under any trust or endowment.

In the Institutions of (a) type no religious instructions can be imparted. In (b) and (c) type institutions, religious instructions may be imparted only with the consent of the individuals. In the (d) type institution, there is no restriction on religious instructions.

- In *Aruna Roy vs. Union of India*, the Apex Court held that Article 28(1) did not prohibit education of religion dissociated from "tenets, the rituals, observances, ceremonies and modes of worship of a particular sect or denomination." The Court distinguished between "religious instructions" and of religion." What is prohibited is the former and not the latter. The court also held "Students should be acquainted with basics of all religions, the values inherited therein and also a comparative study of philosophy of all religions", neither offends Article 28 nor brings secularism to peril."

(Directive Principles of State Policy/DPSP)

हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: हमारे संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक तथा महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाना आदि शामिल हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए कानूनों और नीतियों को बनाने के लिए दिशानिर्देश हैं। ये भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 36-51 में कहा गया है:

“संविधान के भाग IV में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य नीति के पूर्ण और स्वतंत्र सिद्धांत होंगे जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी जाएगी और उनका पालन किया जाएगा और जो सभी मामलों में सरकार की बुनियादी नीति का निर्माण करेंगे।”

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 36-51 सभी राज्य विभागों, अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते समय इन सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देता है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy/DPSP) का शाब्दिक अर्थ है - राज्य के नीति को निर्देशित करने वाले तत्व।

जब संविधान बनाया गया था उस समय लोगों को लोकतांत्रिक राज्य में शासन करने का और देशहित में कानून बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। खासकर के राज्यों के लिए जो कि एक लंबे औपनिवेशिक काल के बाद शासन संभालने वाले थे।

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में राजनेताओं के लिए पढ़ा-लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसे में मार्गदर्शक आवश्यक हो जाता है ताकि नीति निर्माताओं को हमेशा ज्ञात होता रहे कि किस तरफ जाना है।

- ये सिद्धांत गैर-प्रवर्तनीय (non enforceable) हैं, जिसका अर्थ है कि ये अदालतों द्वारा लागू नहीं हैं, हालांकि इसे देश के शासन में मौलिक माना जाता है और कानून और नीतियां बनाते समय सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।


संविधान में राज्य नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो यद्यपि न्यायोचित नहीं हैं, फिर भी 'देश के शासन में मौलिक' हैं, तथा कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इनमें यह निर्धारित किया गया है कि राज्य लोगों के कल्याण को

बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रभावी ढंग से एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-का निर्माण होगा। राज्य अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करेगा कि सभी पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुरक्षित हो तथा अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता या अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान किया जा सके। राज्य श्रमिकों को जीविका मजदूरी, काम की मानवीय स्थितियाँ, जीवन का एक सभ्य मानक और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा।

आर्थिक क्षेत्र में, राज्य को अपनी नीति इस प्रकार से संचालित करनी होती है जिससे कि सामान्य हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण सुरक्षित हो सके, तथा यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य हानि के लिए संकेन्द्रण न हो।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करने, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, ग्राम पंचायतों का संगठन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता की घोषणा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, संधि दायित्व और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान करने से संबंधित हैं।

कुल मिलाकर नीति-निदेशक तत्व लोकतांत्रिक और संवैधानिक विकास के वे तत्व हैं जिसका उद्देश्य लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।



अनुच्छेद 48, भारतीय संविधान 1950

राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा।

सारांश

मसौदा अनुच्छेद 48-ए (अनुच्छेद 48) मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था - एक विधानसभा सदस्य ने इसे 24 नवंबर 1948 को पेश किया। इसने राज्य को अर्थव्यवस्था के कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को विकसित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुछ प्रकार के मवेशियों का वध न किया जाए।

सभा में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया था: अधिकांश हिन्दू सदस्य इस प्रावधान के समर्थन में थे, जबकि अधिकांश मुस्लिम सदस्य इसके प्रति अनिच्छुक थे।

मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में दो तरह के तर्क दिए गए: धार्मिक और आर्थिक। सदस्यों ने कहा कि गाय और सामान्य रूप से मवेशियों को हिंदू धर्म और संस्कृति में विशेष दर्जा प्राप्त है। इन जानवरों का वध हिंदू धर्म पर हमला करने के समान है। लेकिन उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मवेशी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे खाद और दूध जैसी मूल्यवान वस्तुओं का स्रोत हैं।

मसौदा अनुच्छेद में 'उपयोगी' मवेशियों के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि गैर-उपयोगी मवेशियों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए और इस भेदभाव को खारिज कर दिया।

मुस्लिम सदस्य मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में प्रस्तुत किए गए आर्थिक तर्कों पर संदेहास्पद थे; उन्होंने सदस्यों पर वास्तविक तर्क को छिपाने का आरोप लगाया, जो हिंदू धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था।

इसके अलावा, एक मुस्लिम सदस्य ने बताया कि मृत पशुओं की एक बड़ी आबादी है जो अर्थव्यवस्था पर बोझ है। उन्होंने कहा कि इन मवेशियों के साथ आर्थिक रूप से उचित काम यही होगा कि उन्हें मार दिया जाए।

बहस के अंत में, मसौदा अनुच्छेद को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सभा के कई सदस्य पहले चाहते थे कि गौहत्या जैसे अनुच्छेद को कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकारों के खंड में शामिल किया जाए। अनुच्छेद को अपनाने लेकिन इसे कानूनी रूप से लागू न किए जाने योग्य निर्देशक सिद्धांतों में रखने का सभा का निर्णय एक समझौता प्रतीत होता है।

एक साल बाद 14 नवंबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद पर फिर चर्चा हुई। एक सदस्य ने कहा कि संशोधित संविधान में अनुच्छेद 24 नवंबर 1948 को विधानसभा द्वारा अपनाए गए अनुच्छेद से अलग था।

संशोधन पेश करते हुए सदस्य ने मसौदा समिति पर सभा की मंजूरी के बिना अनुच्छेद में बदलाव करने और उसे कमजोर करने का आरोप लगाया। बहस और चर्चा के एक और संक्षिप्त दौर के बाद, सभा ने संशोधन को स्वीकार कर लिया और एक अंतिम संस्करण पर सहमति बनी जो भारत के संविधान 1950 का हिस्सा है।



Article 48A

अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से DPSP में अनुच्छेद 48क को अन्तः स्थापित (Insert) किया गया। अनुच्छेद 48क के तहत राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

इस निदेश के तहत मुख्य रूप से दो कार्य हैं; पहला - देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन। और दूसरा - वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास।

पहला - देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन।

भारत का पर्यावरण विविधतापूर्ण है और इसमें वनों, नौ आर्द्रभूमियों, यों घास के मैदानों और तटीय क्षेत्रों जैसे पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालाँकि, देश को वायु

और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन सहित कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, कई शहरों में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रो जन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उच्च स्तर का सामना करना पड़ रहा है। यह बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन के जलने, औद्योगिक उत्सर्जन और खाना पकाने और गर्म करने के लिए बायोमास के उपयोग के कारण होता है।

भारत में जल प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें कई नदियाँ, झीलें और भूजल स्रोत प्रदूषकों जैसे सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायनों से दूषित हैं।

वनों की कटाई भारत में एक अन्य प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है, जिसमें वन के बड़े क्षेत्रों को कृषि, लॉगिंग और शहरी विकास के लिए साफ किया जा रहा है। इससे जैव विविधता का नुकसान हुआ है, साथ ही मिट्टी का क्षरण हुआ है और पानी की उपलब्धता में कमी आई है।

जलवायु परिवर्तन भी भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि देश इसके प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि, और कृषि उत्पादकता में कमी।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इनमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने, वनों और जैव विविधता के संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के उपाय शामिल हैं।

■ राष्ट्रीय वन नीति (1988): इस नीति का उद्देश्य वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और सुरक्षा करना और देश के पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना है।

■ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016): इस योजना का उद्देश्य देश में वन्यजीवों और उनके आवासों का संरक्षण और सुरक्षा करना है।

■ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2010): यह पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए स्थापित एक विशेष अदालत है।

■राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010): इस कोष का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना है।

■राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (1995): इस योजना का उद्देश्य देश की नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें प्रदूषण से बचाना है।

■राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (2011): इस योजना का उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना है।

■जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008): यह योजना जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है।

■राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019): इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में वायु प्रदूषण को कम करना और वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है।

■राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम (2002): इस अधिनियम का उद्देश्य देश की जैव विविधता और इसके उपयोग को संरक्षित और संरक्षित करना है।

■राष्ट्रीय जल ढांचा कानून (2017): इस कानून का उद्देश्य देश में जल संसाधनों के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

■राष्ट्रीय ई-कचरा प्रबंधन (2016): इस नियम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन और निपटान करना है।

ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और भारत सरकार देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए लगातार नई नीतियों को अद्यतन और कार्यान्वित कर रही है।

दूसरा - वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास।

भारत विविध प्रकार के वनों और वन्यजीवों का घर है। देश के वन अपने कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 21.34% कवर करते हैं और इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और मैंग्रोव शामिल हैं। ये वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर हैं, जिनमें कई ऐसे भी हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत का वन्यजीव भी विविध है और इसमें कई प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडे, हिम तेंदुआ, और हिरण, मृग

और प्राइमेट की कई प्रजातियां। भारत पक्षियों, यों सरीसृपों और उभयचरों की कई प्रजातियों के साथ-साथ मछलियों और अकशेरुकी जीवों की एक विस्तृत विविधता का भी घर है।

हालांकि, देश की समृद्ध जैव विविधता के बावजूद, भारत के कई वन और वन्य जीवन खतरे में हैं। वनों की कटाई, आवास की हानि, और अवैध शिकार भारत के वनों और वन्य जीवन के लिए सभी प्रमुख खतरे हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि

भारत के वनों और वन्य जीवन की रक्षा और संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसे कि आप नीचे देख सकते हैं;

- वन संरक्षण अधिनियम (1980): यह अधिनियम गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को नियंत्रित करता है और इसका उद्देश्य देश के वनों को संरक्षित और संरक्षित करना है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972): यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है।

- प्रोजेक्ट टाइगर (1973): यह बंगाल टाइगर और उसके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम है।

- प्रोजेक्ट एलिफेंट (1992): यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एशियाई हाथी और उसके आवासों की रक्षा और संरक्षण करना है।

- राष्ट्रीय वन नीति (1988): इस नीति का उद्देश्य वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और सुरक्षा करना और देश के पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016): इस योजना का उद्देश्य देश में वन्यजीवों और उनके आवासों का संरक्षण और सुरक्षा करना है।


- द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (1981): यह एक ऐसा संगठन है जो देश के जंगलों के स्वास्थ्य का आकलन करने और वन आवरण में बदलाव की निगरानी के लिए नियमित सर्वेक्षण करता है।

- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (1988): यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो वानिकी और वन्यजीव संरक्षण पर शोध करता है और इन क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

■ राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम (2002): इस अधिनियम का उद्देश्य देश की जैव विविधता और इसके उपयोग को संरक्षित और संरक्षित करना है।

■ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2010): यह वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित मामलों सहित पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत है।

तो हमने कुछ कानून और संस्थाओं के बारे में समझा जो कि वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। अनुच्छेद 48क को प्रभाव में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए नीतियों को लगातार अपडेट और लागू कर रही है।



The Constitution Of India

Article 48 :

Organisation of Agriculture & Animal husbandry

Prohibition of cow slaughter is a Directive Principles of State Policy contained in Article 48 of the Constitution. It reads, "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

sanathanadharma

sanathanadharma

आर्टिकल 51 के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है?

भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय और अन्य समूहों के लोग एक साथ रहते हैं, और उनके द्वारा मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकार और दायित्व एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

- (A) संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना;
- (B) उन महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया;
- (C) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना;
- (D) देश की रक्षा करना तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना;
- (E) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना;
- (F) हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना;
- (G) वन, झील, नदियाँ और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्द्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना;
- (H) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करना;
- (I) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना;
- (J) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके;
- (K) जो माता-पिता या संरक्षक है, वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को, जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

